

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3008/11-सी-FP/UP/Water/155360/2022, लखनऊ, दिनांक: मार्च 21, 2023

सेवा में,

उप वन महानिदेशक(केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र),
केन्द्रीय भवन, अलीगंज, लखनऊ।

विषय:- जनपद-जालौन में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत कोटा, मुस्तकिल, रैपुरा, मदेपुरा ग्राम समूह पेयजल योजना के अधीन विभिन्न मार्गों के किनारे प्रभावित 0.45 हे० संरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:- भारत सरकार का पत्रांक-द्वितीय/मिस०/618/2010/यूपी/पार्ट-2/493, दिनांक 28.02.2023

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा निर्गत सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भारत सरकार के परिवेश पोर्टल पर दिनांक 20.03.2023 को अपलोड किया गया है।

अतः उक्त सूचना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय,

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक:- 3008/11-सी-FP/UP/Water/155360/2022, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, बुन्देलखण्ड वृत्त, झांसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, उरई वन प्रभाग, उरई।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ०प्र० जल निगम (ग्रामीण), उरई।

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

ज/